2022/325

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री गौरव कुमार बनौधा पुत्र श्री ललित कुमार
जाति बनौधा
निवासी विकास नगर, वार्ड सं. 18 आबूपर्वत
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 56 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल म जारी हुए
25.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.02.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1990 के बीच ग्राम पंचायत आकराभट्टा आबूरोड में बतौर सरपंच कार्यरत व्यक्तियों के नाम व कार्यभार अवधि व श्री सांवलाराम ग्राम पंचायत आकराभट्टा आबूरोड में बतौर सरपंच जिस दिनांक से जिस दिनांक तक कार्यरत थे, उक्त अवधि का विवरण एवं श्री महेन्द्र उपाध्याय ग्राम पंचायत आकराभट्टा में जिस दिनांक से जिस दिनांक तक बतौर सचिव ग्राम पंचायत आकराभट्टा में कार्यरत थे। उक्त समस्त सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.02.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1990 के बीच ग्राम पंचायत आकराभट्टा आबूरोड में बतौर सरपंच कार्यरत व्यक्तियों के नाम व कार्यभार अवधि एवं श्री सांवलाराम ग्राम पंचायत आकराभट्टा आबूरोड में बतौर सरपंच जिस दिनांक से जिस दिनांक तक कार्यरत थे, उक्त अवधि का विवरण एवं श्री महेन्द्र उपाध्याय ग्राम पंचायत आकराभट्टा में जिस दिनांक से जिस दिनांक तक बतौर सचिव ग्राम पंचायत आकराभट्टा में कार्यरत थे। उक्त अवधि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय विकास अधिकारी पं.स. आबूरोड से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 837 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा कार्यालय विकास अधिकारी पं.स. आबूरोड को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि कार्यालय [illegible] धिकारी पं.स. आबूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर [illegible] अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नंबर से कम हो । (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner